


हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार
59 वीं बोर्ड बैठक का एजेण्डा



दिनांक: 23.11.2015

(परिचालन विधि)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 59वीं बोर्ड बैठक (परिचालन विधि)

का कार्यवृत्त

मद संख्या-59(1)

विषय:- सेल्यूलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर निर्माण हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

शासन के पत्र संख्या 1633/V-2-2015-55(आ0)/2006टी0सी0-1 दिनांक 24 सितम्बर 2015 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विकास प्राधिकरणों में सेल्यूलर/मोबाइल/ बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर निर्माण एवं विकास हेतु निम्न उपविधि/ विनियम को लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त उपविधि/विनियम को प्राधिकरण बोर्ड की संसृति सहित अंगीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त उपविधि का स्थानीय परिशिष्ट एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत यदि कोई सुझाव एवं परिवर्धन अपेक्षित हो तो बोर्ड की संसृति सहित शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाने के निर्देश हैं।

प्राप्त उपविधि निम्नवत् है:-

(सेल्यूलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर निर्माण अनुमत्यता:

- सेल्यूलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर के निर्माण की अनुज्ञा समान्यतः पार्क, बंजर, अधिकरित एवं खुले स्थल, ग्रीन बर्ज, कृषि भू-उपयोग आदि के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी, जबकि स्कूल व अस्पताल भवन/परिसर अन्तर्गत उक्त टावरों की अनुमत्यता निषिद्ध होगी एवं अन्य भू-उपयोगों में विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उक्त अनुज्ञा देय होगी।
- केवल उन्हीं निर्मित भवनों पर टावर का निर्माण अनुमत्य होगा जिनके मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत हो अथवा प्राधिकरण क्षेत्रों में शमन उपरान्त अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि प्रस्तावित टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है व भवन, जिस पर टावर निर्मित किया जाना है, भी टावर के साथ सुरक्षित है।
- प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सम्भावित हानि को न्यूनतम करने के दृष्टिगत टावर का निर्माण संकरी गलियों में अनुमत्य नहीं होगा। पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मैदानी मार्ग में 9.0 मी0 आवश्यक है। पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत यथा- पर्वतीय शिखर, विसर्प टोप आदि हेतु पंहुच मार्ग चौड़ाई व भूखण्ड के न्यूनतम क्षेत्रफल की बाधता नहीं होगी। सधन निर्मित क्षेत्रों में पर्याप्त मार्ग चौड़ाई न होने पर अपरिहार्य परिस्थितियों में न्यूनतम 5.0 मी0 चौड़े पंहुच मार्ग पर मोबाइल सेवा हेतु केवल Micro Cell Based Stations के उपयोग की अनुमत्यता इस आधार पर विचारणीय होगी कि अग्नि शमन विभाग इस सम्बन्ध में स्पष्ट अनापत्ति प्रदान करे कि प्रसंगत स्थल हेतु शमन वाहन के सुचारु आवागमन हेतु पर्याप्त मार्ग चौड़ाई उपलब्ध है। विशेष परिस्थिति में स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा 5.0 मी0 से कम पंहुच मार्ग होने पर प्रकरणों को गुण-दोष के आधार पर शिथिलता विचारणीय होगी।
- भू-खण्ड का क्षेत्रफल- इस प्रयोजनार्थ स्थल के भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 50 वर्गमी0 तथा भवन की छत पर निर्माण होने पर छत का क्षेत्रफल भी न्यूनतम 50 वर्गमी0 आवश्यक होगा।
- भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर0- एकस्रेज नोड स्थल व अनुभाषिक भवनों व निर्माण हेतु भवन का अधिकतम भू-आच्छादन 40 प्रतिशत तथा एफ0ए0आर0 1.0 अनुमत्य होगा।

प्रमुख अधिकारी
हरिद्वार-सकल विधायक प्राधिकरण
हरिद्वार

परिहार-कर
हरिद्वार

- केवल एन्टीना टावर को एफ0ए0आर0 व तत्समगित ऊँचाई से मुक्त रखा जायेगा।
- सेटबैक-टावर का सेटबैक संलग्नक (अ) अनुसार होगा। हाई, मीडियम एवं लो टेन्सन विद्युत लाईन से टावर की न्यूनतम दूरी एन0बी0सी0 में निर्धारित विद्युत लाईन से दूरी के बराबर आवश्यक होगा।

- निर्माण अनुज्ञा हेतु अपेक्षाएँ- संरचना की स्थिरता और अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं सम्बन्धों सामान्य निर्माण अपेक्षाओं, संरचना की स्थिरता और अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं सम्बन्धों मानकों का उल्लंघन न होने पर सेल्यूलर/मोबाइल/ बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर के निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुज्ञा प्रदान की जायेगी:-
 - निर्माण अनुज्ञा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेल्यूलर/मोबाइल/ बेसिक टेलीफोन सेवा आपरेटर कक्ष के निर्माण के लिए ही उपलब्ध होगी। जेनरेटर केवल साइलेंट प्रकृति के होंगे तथा भूतल अथवा सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त स्थान पर ही लगाये जायेंगे।
 - सेवा आपरेटर द्वारा टावर का निर्माण कार्य किये जाने से पूर्व "काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर" में पंजीकृत आर्कीटेक्ट एवं अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र इस प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। कि प्रस्तावित टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है, भवन जिस पर टावर निर्मित किया जाना है (यदि ऐसा हो, तो) भी टावर के साथ सुरक्षित है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर के अतिरिक्त आई0आई0टी0 तथा राजकीय संस्थानों यथा एन0आई0टी0, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
 - यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाना है तो टावर का निचला भाग छत से न्यूनतम 3.0 मी0 की ऊँचाई पर होना आवश्यक है। साथ ही इस सम्बन्ध में Wind load तथा Seismic load के सम्बन्ध में तथा भवन के स्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी।
 - जहाँ अपेक्षित हो, वहाँ टावर के निर्माण से पूर्व पर्यटन अथॉरिटी ऑफ इण्डिया का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
 - उन प्रकरणों में जहाँ पर टावर संचालन हेतु लगे डीजल जेनरेटर की क्षमता 25 KVA से अनाधिक है एवं उक्त जेनरेटर आटोमेटिव रिसर्भ एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के द्वारा प्रमाणित हो एवं उक्त जेनरेटर साइलेंट श्रेणी का हो, ऐसे प्रकरणों में प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी।
 - टावर के निर्माण से पूर्व SACFA (Standing Advisory Committee On Frequency Allocation) का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
 - सेवा आपरेटर कम्पनी से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आसपास के भवन एवं जानमाल को किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कम्पनी का होगा।
 - आपदेन के साथ DoT विभाग के Term Cell तथा निर्गत निम्न acknowledge receipt of the self certificate submitted by Telecom Service Provider in respect of Mobile Tower/ BTS (ground based/rooftop/pole/ wall mounted) in the format as prescribed by TEC, DoT, establishing/ certifying that all the general public areas around the tower will be within safe EMR exposure limit. The operator shall get the Technical Audit done by TERM cell annually and shall submit the same with the sanctioning authority at the time of renewal of the permission for mobile tower.
 - निर्माण से पूर्व मानचित्र, शपथ पत्र व अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र अनुज्ञा फीस के साथ सम्बन्धित सकल प्राधिकारी के कार्यालय में जमा किए जायेंगे अनुज्ञा फीस के रूप में

प्रमुख अधिकारी
हरिद्वार-सकल विधायक प्राधिकरण
हरिद्वार

परिहार-कर
हरिद्वार

प्राप्त धनराशि प्राधिकरण के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फण्ड में जमा किया जायेगा। यह अनुज्ञा 05 वर्ष हेतु होगी तथा उक्त अवधि पूर्ण होने से कम से कम एक माह पूर्व नवीनीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जाएगा। नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा फीस का 25 प्रतिशत अथवा ₹. 2500/- जो भी अधिक हो, देय होगा।

क्र.सं०	क्षेत्र	अनुज्ञा फीस (रूपये में)
1-	विकास प्राधिकरण	50,000/-

टिप्पणी-

- (i) जिन विभाग/कम्पनी/सेवादाता द्वारा अन्य कम्पनी/सेवादाता से अपेक्षाकृत अति अत्याधुनिक तकनीकी के मोबाइल टावर एन्टीन लगाये जायेंगे, ऐसी मोबाइल टावर कम्पनियों को राजकीय/स्वायत्तशासी/निगमों के कार्यालय भवनों एवं उसके परिसर अन्तर्गत उपलब्ध भूमि पर टावर निर्माण हेतु प्रोत्साहन दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत टावर निर्माण का उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किराया शुल्क लेकर सम्बन्धित कार्यालययुक्त द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रदान की जायेगी। ऐसे प्रकरणों में प्रोत्साहन के रूप में अनुज्ञा शुल्क में भी 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
 - (ii) मोबाइल टावर की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व मोबाइल टावर कम्पनी का होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में सम्बन्धित कम्पनी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी।
3. अन्य अपेक्षाएँ -
- (i) निर्माण अनुज्ञा प्रदान करने हेतु उपर्युक्त प्रस्तर 2 (ix) के अतिरिक्त विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा।
 - (ii) शपथ पत्र 10 ₹ के नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर आवेदक के फोटो सहित नोटरी से सत्यापित होगा।
 - (iii) आवेदन पत्र की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त आवेदन पत्र की एक छायाप्रति जिलाधिकारी एवं एक छायाप्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्रथम सूचना के रूप में प्रेषित करनी होगी।
 - (iv) इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बायप्रेशन, ध्वनि प्रदूषण आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
 - (v) Ground Based टावर में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित करने के लिये समुचित उपाय यथा चारदीवारी, कटीले तारबाड़ जो न्यूनतम 10 फिट उंची हो, का ताले की व्यवस्था सहित प्राक्खान अनिवार्य रूप से करना होगा।
 - (vi) Roof Top टावर में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित करने हेतु भवनों की छतों पर जाने वाले दरवाजे पर ताला, आदि का प्राक्खान अनिवार्य रूप से करना होगा।

अतिरिक्त प्रमुख अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-सड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

अतिरिक्त प्रमुख अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-सड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

अतिरिक्त प्रमुख अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-सड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

- (vii) टावर परिसर के प्रवेश द्वार पर उचित स्थान पर घेतावनी सूचना 'साइन बोर्ड' लगाना अनिवार्य होगा जिसमें खतरा ! आरओएफओ विकिरण, प्रवेश वर्जित लिखा होगा।
- (viii) प्रदाता कम्पनी को आवेदन पत्र के साथ भवन/भूखण्ड स्वामी के साथ किये गये पंजीकरण अनुबंध की मूल प्रति स्टाम्प शुल्क सहित उपलब्ध करवानी होगी।
- (ix) समय समय पर TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) एवं ARAI (Automobile Research Association of India) Ministry of Commerce of India द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन आवश्यक होगा।
- (x) DoT के TERM cell द्वारा संलग्नक (अ) अनुसार अन्य अपेक्षाओं को पूर्ण करते हुए audit किया जाना अपेक्षित है।

शमन एवं विनियमितीकरण :-

- (i) ऐसे सभी टावर जो कि प्रस्तावित नीति के प्रवर्तन से पूर्व में लगे हैं और विनियमितीकरण हेतु उपयुक्त है और जिनके सम्बन्ध में या तो अनुज्ञा हेतु आवेदन नहीं किया गया था अथवा तदतिरिक्त को प्रवृत्त नीति के अनुसार अनुज्ञा शुल्क जमा नहीं किया गया था, ऐसे समस्त प्रकरणों में विनियमितीकरण विशेष प्रकरण के रूप में किया जायेगा जिस हेतु एकमुश्त मुग्तान के रूप में प्रस्तर-2(ix) के अनुसार शुल्क देय होगा।
- (ii) पूर्व में स्थापित टावरों के सम्बन्ध में जहां पर अनुज्ञा हेतु आवेदन करते समय यद्यपि टेलीकाम कम्पनियों के द्वारा अनुज्ञा शुल्क तदप्रवृत्त नीति के अनुसार जमा किया गया था परन्तु सम्बन्धित क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा औपचारिक रूप से आपत्ति की गयी थी, जैसे कि साईट प्लान की वैधता, स्वीकृत मानचित्र (विडिडिंग की छतों पर लगे टावरों के सम्बन्ध में) भूस्वामी से किये गये करार की छायाप्रति सम्बन्धित आवेदन के साथ न लगाया जाना, ऐसे समस्त प्रकरणों में सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा प्राधिकरण के समक्ष शमन एवं विनियमितीकरण के लिए आवेदन किया जायेगा एवं उक्त आवेदन की तिथि से विलम्बतम 30 दिवसों में उक्त शमन/विनियमितीकरण सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त शुल्क सम्बन्धित प्राधिकरण को देय नहीं होगा।
- (iii) ऐसे भवन, जिनकी छत पर टावर स्थित है, और यदि उन भवनों का मानचित्र विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया है अथवा स्वीकृति हेतु विकास प्राधिकरण में जमा है, में सेल्युलर मोबाइल टावरों की स्थापना के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाणपत्र की बाध्यता शिथिल की जायेगी।
- (iv) ऐसे प्रकरणों, जिनमें टावर की स्थापना कर दी गयी है किन्तु विडिडिंग मानचित्र स्वीकृत नहीं है, उनमें अनुज्ञा एवं शमन हेतु नवन मानचित्र सम्बन्धित प्राधिकरण में जमा किया जायेगा और भवन के शमन योग्य होने पर ही विकास प्राधिकरण द्वारा 30 दिन के भीतर आवेदन का निस्तारण किया जायेगा और यदि आवेदन का निस्तारण 30 दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो 30 दिनों के उपरान्त प्रकरण में स्वतः deemed स्वीकृति मानी जायेगी तथा निर्धारित शुल्क सम्बन्धित सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जमा कराया जायेगा।
- (v) शमन/विनियमितीकरण योग्य न होने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

रेडिएशन सम्बन्धित प्रकरण-

यदि किसी मोबाइल टावर पर रेडिएशन एवं अन्य किसी प्रकरण की शिकायत प्राप्त होती है तो उस शिकायत को भारत सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ संस्था "TERM cell" BSNL जो कि वर्तमान में 197, राजपुर रोड, देहरादून में स्थित है, को प्रेषित किया जायेगा

अतिरिक्त प्रमुख अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-सड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार


अतिरिक्त प्रमुख अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-सड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार


अतिरिक्त प्रमुख अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-सड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार


जैसा कि भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में है। जहां किसी प्रकार के शान्ति व्यवस्था संबंधी समस्या हो, वहां संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की सलाह से निर्णय लेंगे।


उक्त दिशा-निर्देश के क्रम में कोई भी मोबाइल टावर किसी भी क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा रेडिएशन के आधार पर सील नहीं किया जायेगा जब तक "TERM cell" द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत न कर दी गयी है।)


उपरोक्त उपविधि/विनियम प्राधिकरण की 59वीं बोर्ड बैठक में अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन विधि से अनुमोदित।



उपअध्यक्ष
हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार



जिलाधिकारी,
हरिद्वार



वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक
ग्राम्य एवं नगर नियोजक, विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून



मुख्य नगर अधिकारी
नगर निगम,
हरिद्वार



(अध्यक्ष/मार्ग)
नगर पालिका परिषद,
नगरपालिका अधिकारी


सदस्य
हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण
हरिद्वार


अध्यक्ष,
नगर पंचायत/ग्रामिणी की रेती
नगरपालिका परिषद
मुनिकीरेती, दालवाला


प्रशासक,
नगर पंचायत, रानीपुर,
हरिद्वार


मुख्य नगर अधिकारी
नगरपालिका परिषद,
शिकारिवाला नगर।


23/11/2015
हरिदास
अध्यक्ष
हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण